न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 40/23 (वाद)

GCMS NO. : 2023/103

अनवान

1. श्री मीठालाल पिता अमरा डांगी निवासी रख्यावल तहसील मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्री लच्छीराम पिता दुर्गाशंकर जोशी, ब्राहम्ण निवासी रख्यावल तहसील मावली।
2. श्री रमेशचन्द्र पिता गेगराज जोशी, ब्राहम्ण निवासी रख्यावल तहसील मावली।
3. श्री जमनालाल पिता खेमराज जोशी, ब्राहम्ण निवासी रख्यावल तहसील मावली।
4. श्री कानसिंह पिता प्रतापसिंह राव निवासी रखेला, रख्यावल तहसील मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली। ......प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 29.08.2025

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली के आराजी नम्बर 942 रकबा 0.5666 हेक्टेयर आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ वादी के पिता अमरा पिता देवा डांगी के नाम स्वतन्त्र खातेदारी हक से दर्ज हैं। अमरा पिता देवा डझंगी का निधन हो चुका है जिनका मैं वादी पुत्र होकर विधिक वारिस हूं।
2. यह कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि मुझ वादी के स्वर्गीय पिता की खातेदारी में अंकित है जो मुझ वादी को मेरे पिता से विरासत में प्राप्त हुई है और मैं वादी अपने परिवारजन सहित काबिज हाकेर निरन्तर बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग कर रहा हूं तथा मुझसे पहले मेरे पिता उनके जीवनकाल में इस जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते रहे तथा कुलिया भूमि की सीमा पर बाउण्ड्रीवाल बनी हुई हैं। मेरी उक्त वर्णित जमीन में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 4 नाजायज रूप से मुझ वादी की जमीन को हड़पने की नियत से मेरे खातेदारी एवं कब्जे की कृषि भूमि आराजी नम्बर 942 के पश्चिमी दक्षिणी कोने पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हो रहे है और [illegible] को नाजायज तरीके से मेरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:53 IST
Reason: SelfAttested

उक्त खातेदारी व कब्जे की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है और इसी नियत से ये लोग सभी लोग हमसलाह होकर दिनांक 22.02.2023 को मेरी खातेदारी की कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से आये और मुझ वादी को ऐलानिया धमकी दी कि हम पहुंच वाले लोग है, तू इस जमीन को खाली कर देगा वरना तेरे को हम इस गांव में शांति से नहीं रहने देगें और तेरा व तेरे परिवार के लोगो का जीना हराम कर देंगे। मैने इन लोगों का विरोध कर कहा कि ये जमीन मेरी है तो ये लोग मेरे साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये और धमकी देकर गये कि दुबारा इस जमीन पर नजर आया तो तेरा अन्जाम बहुत बुरा होगा। इस प्रकार प्रतिवादीगण का उक्त वर्णित कृषि भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है, न ही कोई हक अधिकार कभी रहा है। फिर भी ये लोग बलपूर्वक मेरी खातेदारी की जमीन पर कब्जा करना चाह रहे है इसलिए मैं वादी प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं।

3. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि वाद में वर्णित कृषि भूमि मेरे पिता की खातेदारी में दर्ज होकर मुझ वादी के कब्जे एवं उपयोग उपभोग की है और मैं वादी इस कृषि भूमि पर अपने परिवार सहित बिना किसी बाधा के निरन्तर काबिज हो काश्त कर रहा हूं जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अनाधिकृत व बलपूर्वक मेरी उक्त कृषि भूमि के पश्चिमी दक्षिणी कोने से मुझ वादी को बेदखल कर इस भू भाग पर जबरन कब्जा कर निर्माण करवाने पर आमादा हो रहे है और मुझ वादी को उक्त कृषि भूमि के उपयोग उपभोग करने में व्यवधान पैदा कर रहे है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वाद पत्र में वर्णित मुझ वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि का मुझ वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, मुझ वादी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहूंचावे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, किसी प्रकार की सामग्री डालकर अतिक्रमण नहीं करे, कच्चा/पक्का निर्माण नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादी को भारी क्षति होगी जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 16:29:53 IST
Reason: SelfAttested

मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में हैं।

4. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 22.02.2023 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने मुझ वादी के कब्जे उपयोग उपभोग की उक्त कृषि भूमि पर आकर मुझे बेदखल करने एवं जबरन कब्जा करने की कोशिश की तथा मना करने पर मरने मारने पर उतारू हुए तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि का मुझ वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ वादी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, किसी प्रकार की सामग्री डालकर अतिक्रमण नहीं करें, कच्चा/पक्का निर्माण नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें। विकल्प में निवेदन है कि यदि दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 आराजी नम्बर 942 के पश्चिमी दक्षिणी भू भाग पर जबरन कब्जा कर कच्चा/पक्का निर्माण करा लेवे अथवा पाया जावे तो पुनः इनके खर्चे से निर्माण/कब्जा हटवाया जाकर कब्जा मुझ वादी को दिलाया जाकर वाद दायरी दिनांक की स्थिति रखाई जावें।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही रहने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत गवाह पी.डब्ल्यू. 1 वादी स्वयं मीठालाल का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज मौजा रख्यावल की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 की खाता संख्या 15 प्रदर्श 1, मौके के फोटो ग्राफ्स प्रदर्श 2 व 3 करवाए गए। विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की [illegible] बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज [illegible] का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 16:29:53 IST
Reason: SelfAttested

पर पहुंचे है कि मौजा रख्यावल पटवार क्षेत्र रख्यावल तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 15 पर दर्ज आराजी नम्बर 942 किता 1 कुल रकबा 0.5666 हैक्टेयर भूमि के संबंध में वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है। जमाबंदी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि वादी के पिता अमरा पुत्र देवा के नाम दर्ज है। वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार खातेदार अमरा का निधन हो चुका है। जिसका वारिस वादी है। प्रतिवादीगण अमरा के वारिस भी नही है। चुंकि अमरा का निधन हो जाने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत अमरा के वारिसान वादग्रस्त भूमि के खातेदार हो चुके है। जिसमें एक वारिस वादी ही है। प्रतिवादीगण अमरा के वारिसान नही होने से वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड एवं अमरा का निधन हो जाने से वादग्रस्त भूमि में वादी का हक हिस्सा निहीत होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रतीत होता है। प्रतिवादीगण यदि वादी को वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल कर देते है या वादी की भूमि पर जबरन निर्माण कार्य कर देते है तो इससे वादी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाता है कि मौजा रख्यावल पटवार क्षेत्र रख्यावल तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 15 पर दर्ज आराजी नम्बर 942 किता 1 कुल रकबा 0.5666 हैक्टेयर भूमि वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:53 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री मीठालाल पिता अमरा डांगी निवासी रख्यावल तहसील मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री लच्छीराम पिता दुर्गाशंकर जोशी, ब्राहम्ण निवासी रख्यावल तहसील मावली।
2. श्री रमेशचन्द्र पिता गेगराज जोशी, ब्राहम्ण निवासी रख्यावल तहसील मावली।
3. श्री जमनालाल पिता खेमराज जोशी, ब्राहम्ण निवासी रख्यावल तहसील मावली।
4. श्री कानसिंह पिता प्रतापसिंह राव निवासी रखेला, रख्यावल तहसील मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 40/23 (वाद)

GCMS No. : 2023/103

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाता है कि मौजा रख्यावल पटवार क्षेत्र रख्यावल तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 15 पर दर्ज आराजी नम्बर 942 किता 1 कुल रकबा 0.5666 हैक्टेयर भूमि वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.08.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:53 IST
Reason: SelfAttested